

खाद्य सुरक्षा विभाग

- अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

फा. सं. एफ. 7 (223)/डी ओ एफ एस./प्रशा./2012/8153-69.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [2006 का 34] की धारा 68 की उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [2006 का 34] के उद्देश्यों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को उनके संबंधित जिलों के लिए न्याय निर्णायक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात:- के रूप में नियुक्त करते हैं अर्थात :-

		जिला
1	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	दक्षिण पूर्व
2	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	शाहदरा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. एस. डागर, विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2013

F. No. F. 7(223)/DoFS/Admn/2012/8153-69.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Additional District Magistrates for the purpose of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), as Adjudicating Officers for their respective Districts :—

District

1. Additional District Magistrate

South East

2. Additional District Magistrate

Shahdara

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. S. DAGAR, Spl. Secy. (H & FW)